



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27671

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1864 वर्ष 2026

प्रवीण कुमार सक्सेना

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेश कुमार, रमेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, उनका तर्क है कि वह निर्देशों से भली-भांति अवगत हैं और निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं तथा वह कोई अन्य हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.02.1993 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद 19.07.2021 को रिट याचिकाकर्ता को सहायक विकास अधिकारी, पंचायत राज के पद पर प्रोन्नत किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, एसीपी से संबंधित कुछ लाभ 17.02.2023 को रिट याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे। हालांकि, उक्त लाभ रिट याचिकाकर्ता की पीठ पीछे वापस लिए जा रहे थे और इसके परिणामस्वरूप जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से 13,16,522 रुपये की राशि की वसूली की मांग की गई है।
4. इस पर प्रश्न उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना उनकी पीठ पीछे किया गया है और यह धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्य छिपाने का मामला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य 1994 6 एससीसी 154 के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

6. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव का तर्क है कि मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है, उनके अनुसार, दिनांक 06.01.2026 के आदेश को निरस्त किया जाए और नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ता का आरोप यह है कि दिनांक 06.01.2026 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और रिट याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव द्वारा उक्त तथ्य का विवाद नहीं किया गया है, उनके अनुसार, आदेश को निरस्त किया जाए और नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान शुक्ला (उपरोक्त) में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, यह विवादित नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता का सिविल परिणामों का सामना करना पड़ा है लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताओ का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन कम किए जाने से पहले उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था और आदेश उसकी पीठ पीछे कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्यवाही में निष्पक्षता यह मांग करती है कि कोई भी ऐसा आदेश जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी के सिविल परिणामों को भुगतने के रूप में हो, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, दिनांक 25.7.1991 का आदेश या ज्ञापन जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ 18.12.1970 से अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित दिनांक 25.7.1991 के आदेश या ज्ञापन को निरस्त करते हैं।"

10. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास आदेश को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(ए). प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.01.2026 को निरस्त किया जाता है।

(बी). रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद सख्ती से कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेज दिया जाता है।



12. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता को मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और रिट याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

13. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"